न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 01/2026 **निर्णय दिनांकः– 28-04-26**
(जीसीएमएस संख्या 2026/28)

1. फूसाराम पुत्र बालूराम
2. सूरजाराम पुत्र बालूराम
3. जेठाराम पुत्र बालूराम
4. अनाराम पुत्र बालूराम

} जाति जाट निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. शांति पुत्री हूणताराम पत्नी श्री गोरधनराम जाति जाट निवासी सागर तहसील व जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट

2. चम्पा पुत्री बालूराम
3. ओमप्रकाश पुत्र शांति पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी गाढ़वाला तहसील व जिला बीकानेर।
4. सोहन पुत्र शांति पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी गाढ़वाला तहसील व जिला बीकानेर।
5. मानाराम पुत्र शांति पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी गाढ़वाला तहसील व जिला बीकानेर।
6. मोहनी (नानी) पुत्री शांति पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी गाढ़वाला तहसील व जिला बीकानेर।
7. राजू पुत्री शांति पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी गाढ़वाला तहसील व जिला बीकानेर।
8. गोमती पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी पेमासर।
9. मानाराम पुत्र हीरा पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी केसरदेसर जाटान तहसील व जिला बीकानेर।
10. राजुराम पुत्र हीरा पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी केसरदेसर जाटान तहसील व जिला बीकानेर।
11. पप्पुराम पुत्र हीरा पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी केसरदेसर जाटान तहसील व जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

12. सीताराम पुत्र हीरा पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी केसरदेसर जाटान तहसील व जिला बीकानेर।
13. चांदा पुत्री हीरा पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी केसरदेसर जाटान तहसील व जिला बीकानेर।
14. छोटा पुत्री हुणताराम पत्नी लिखमाराम जाति जाट निवासी बिंझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
15. देबूराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।
16. भंवरी देवी पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।
17. मूली देवी बेवा गणपतराम जाति जाट निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।
18. जमना पुत्री बालुराम जाति जाट निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।
19. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

–गौण रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 18–11–2025
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिकी दिनांक 18–11–2025 जिसके द्वारा निर्णय व विभाजन की डिकी पारित की गई है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम चक 6 एनजीमए के मुरबा नम्बर 194/11 के किला नम्बर 24, 25 तादादी 2 बीघा मुरबा नम्बर 194/12 के किला नम्बर 3 ता 9. 12, 13, 15 ता 19, 21 ता 25 तादादी 20 बीघा मुरबा नम्बर 194/13 के किला नम्बर 1 ता 5. 7 ता 11, 20 तादादी 11.4 बीघा, मुरबा नम्बर 194/19 के किला नम्बर 5 ता 8, 12 ता 25 तादादी 18 बीघा, मुरबा नम्बर 194/20 के किला नम्बर 1 ता 15, 18 ता 22 तादादी 20 बीघा कुल तादादी 71 बीघा कमाण्ड व 0.14 खाला कमाण्ड तथा ग्राम पेमासर के खसरा नम्बर 9 तादादी 7.7300 हैक्टेयर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शान्ति पुत्री हुणताराम द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 द्वारा दावा खारिज किये जाने हेतु जरिये वकील जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 10 देबूराम पुत्र गणपतराम द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया जिस पर बहस सुनी जाकर दिनांक 08.04.2024 को दावा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शान्ति द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें सभी रेस्पोडेन्टान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण अपने निर्णय दिनांक 19.12.2024 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.04.2024 जिसके द्वारा दावा खारिज किया गया को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली 21.01.2025 को पेशी में ली गई जिसमें पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। दिनांक 04.06.2025 को दावे में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 6/1 ता 6/5 एवं 7, 8/1, 8/3, 8/5 व 10 ता 13 की एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसका आधार रजिस्टर्ड डाक से तामिल होना अंकित किया गया। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के रूप में पक्षकार रहे थे जिनके द्वारा जवाब दावा भी प्रस्तुत किया गया था एवं वादीया का दावा खारिज भी किया गया लेकिन डाक विभाग द्वारा कभी भी रजिस्टर्ड डाक के समन अपीलान्टान को प्रदान नहीं किये गये। राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय से भी कभी समन प्राप्त नहीं हुवे सम्पूर्ण

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत की गई। बिना पक्षकारों को समन तामिल किये अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पटवारी हल्का अपीलान्ट की भूमि का नाप किये जाने हेतु मौके पर आये तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को हुई। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तब अपीलान्ट को एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय की जानकारी हुई जो कानून को ताक में रखकर की गई होने से खारीज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्टान को कभी भी समन जारी नहीं किये गये दिनांक 04.06.2025 को जो एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई वह सही नहीं थी। इसके अलावा दिनांक 12.08.2025 को ट्रेकिंग रिर्पोट को विधिवत् तामिल मानकर एकपक्षीय कार्यवाही करने में भी अदालत मातहत ने भूल की है। कुछ पक्षकारों की ट्रेकिंग रिपोर्ट में समन डिलीवर्ड बताये गये है जबकि वह समन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लौटकर आ रखें हैं। इससे यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा डाक विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगती कर रिपोर्ट बनवाई गई इस कारण भी निर्णय जैर अपील निरस्त योग्य है। कानूनन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अखबार प्रकाशन से अपीलान्ट को व अन्य रेस्पोडेन्टान को तलब किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकिया को अपनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शांति देवी द्वारा ही वादपत्र प्रस्तुत किया गया था एवं उसके पक्ष में ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 18 सहखातेदार काश्तकार होन के कारण पक्षकार बनाये गये है। उनके विरूद्ध किसी प्रकार की रिलीफ नही चाही गई है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, बीकानेर दिनांक 18–11–2025 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2018 पेज 173, आरएलडब्ल्यु 2017(2) पेज 945 प्रस्तुत किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने जवाब बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। उक्त दावा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज फरमा दिया गया था जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय द्वारा अपीलाटस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील किया गया था परन्तु अपीलाटस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपने आदेश दिनांक 18–11–2024 द्वारा प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया गया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा सभी पक्षकारो को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील किया गया फिर भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आए। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04–06–2025 व 14–10–2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्राथमिक डिक्री जारी की है जिसके अभी प्रस्ताव प्राप्त होने शेष है एवं यदि अपीलांट/प्रतिवादी को प्राथमिक डिक्री उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी तक किसी का हिस्सा तय नहीं किया है केवल मात्र प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विभाजन के दावे को लम्बित रखने के मकसद से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट केवल मात्र कानूनी पेचिदिगयों से दावा डिक्री नहीं होने देना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के दावे अनुसार न्यायपूर्ण तरीके से खाता विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी गई है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है अर्थात उक्त विभाजन से उनके हितों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट का प्रस्तुत किया। विभाजन का दावा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–11–2025 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए संबंधित तहसीलदार को वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि एवं वादी व प्रतिवादीगण के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्/प्रतिवादीगण को जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर वादी के कथनानुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारो को तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 08–04–2024 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादीनी/अपीलांटा का वाद, वाद कारण के अभाव में खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील वादीनी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08–04–2024 निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया।

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करते हुए सभी पक्षकारो को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आने

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलांट और रेस्पोडेन्टान अपीलाधीन आराजी के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत आराजी के खाता विभाजन का दावा लाया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड तथा कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम), 1955 के नियम 19 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव बनाने के आदेश पारित किये है। प्राथमिक डिक्री में हिस्सा तय किया है इसमें कब्जे का निर्धारण नही किया गया है। अपीलांट की आपत्ति हिस्से के संबंध में नही है। प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी होना शेष है, ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट को कब्जे के संबंध में कोई आपत्ति विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त होती है तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में निर्देश दिये जाने उचित पाते है कि यदि अपीलांट् द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे। प्राथमिक डिक्री पर इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रती नही होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18–11–2025 यथावत बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 28-04-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

<u>डिकरी ब सीगे अपील</u>
(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

फूसाराम बनाम शान्ति
अपील संख्या 01/2026

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
मुवर्खे 18–11–2025

यह अपील ब–तारीख 28–04–2026 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट्स श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस श्री प्रहलाद जाखड़ पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–11–2025 यथावत बहाल रखा गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग ....–........) रूपये अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ....–.............. अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 28 माह अप्रैल सन् 2026 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

<u>खर्चा अपील</u>

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील........... 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत्			1. स्टाम्प वकालतनामा............. 2. अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		